**न्यायालय सत्र न्यायाधीश (रमाबाई नगर) कानपुर देहात ।**

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1190/2026

**CNR No.UPRN01– 003138 –2026**

1. प्रेम नरायण उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र गुलजारी
2. मुन्नी उर्फ जयदेवी उम्र लगभग 58 वर्ष पत्नी प्रेमनरायन
3. महेन्द्र पाल उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्र प्रेमनरायन
4. श्याम पाल उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र प्रेमनरायन

सभी निवासीगण ग्राम धन्नी निवादा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात ।

5. श्रीमती बिट्टी उर्फ रानी देवी उम्र लगभग 30 वर्ष पत्नी सुरेन्द्र
6. सुरेन्द्र उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र सूरज

दोनो निवासीगण ग्राम सिंहपुर शिवली थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

...आवेदकगण/अभियुक्तगण,

**प्रति**

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं०–419/2022

धारा–147,148,452,323,307,429 भा०द०सं०

थाना–शिवली, कानपुर देहात।

**एवं**

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1272/2026

**CNR No.UPRN01– 003333–2026**

1. शिववती उम्र लगभग 30 वर्ष पत्नी सुनील उर्फ राम गोपाल, पुत्री प्रेम नारायण निवासी ग्राम धन्नी नेवादा, थाना रसूलाबाद, जिला कानपुर देहात, हाल पता ग्राम सिंह पुर, शिवली, थाना शिवली, कानपुर देहात।

...आवेदिका/अभियुक्ता,

**प्रति**

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं०–419/2022

धारा–147,148,452,323,307,429 भा०द०सं०

थाना–शिवली, कानपुर देहात।

**<u>आदेश</u>**

1. उपर्युक्त मामले में अभियुक्तगण प्रेम नारायण, मुन्नी उर्फ जयदेवी, महेन्द्र पाल, श्याम पाल, श्रीमती बिट्टी उर्फ रानी देवी, सुरेन्द्र एवं शिववती के द्वारा पृथक–पृथक अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो कि एक ही अपराध संख्या, थाना व घटना से संबंधित है, इसलिये इनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

**2.** अभियोजन के कथनानुसार वादिनी श्रीमती फूलमती द्वारा धारा 156(3) द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके बड़े पुत्र सुनील की शादी 23 फरवरी 2013 को शिववती के साथ बिना दान–दहेज के हुये थी। शादी के बाद उसकी बहु विदा होकर आयी परन्तु वह शादी से खुश नहीं थी और कहती थी कि उसके माता–पिता ने जबरन उसकी शादी तुम्हारे लड़के से करा दी। वह अक्सर लड़ाई झगड़ा करती थी। इसी बीच उसे एक पुत्र 2015 में पैदा हुआ जो इस समय आठ वर्ष का है। उसकी बहू अक्सर उससे चोरी कर अपने मायके वालों को रूपये चुराकर देती थी, मना करने पर झूठे मुकदमें में फँसा देने की धमकी देती थी। दिनांक 23.09.2022 को रात 9.30 बजे बहू शिववती के परिवारवाले ओमनी गाड़ी से चाकू, तमंचा लेकर आये और उसे मारापीटा उसके जेवरात तथा नगदी 23,275/–रूपये तथा शिववती अपना समस्त स्त्रीधन तथा अपने पुत्र रजनीश को लेकर जाने लगी। उसके पुत्र सुनील कुमार व शैलेन्द्र कुमार ने बचाने की कोशिश करने लगे तो उपरोक्त लोग उनसे भी मारपीट करने लगे और महेन्द्र पाल ने जान से मारने की नियत से तमंचे से सुनील पर फायर कर दिया जिससे वह गोली गाय को लग गयी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। समस्त लोग ओमनी कार में बैठकर भाग गये। संबंधित न्यायालय

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.06.18 16:04:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के आदेशानुसार थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी जिसमें बाद विवेचना मामले में कोई साक्ष्य न पाते हुए अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। अन्तिम रिपोर्ट के विरूद्ध वादिनी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा मामले में सुनवाई करते हुए अन्तिम रिपोर्ट निरस्त करते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रेमनारायण, रामशरण, महेन्द्र पाल, श्यामपाल, बिट्टी, मुन्नी, शिववती, रामनारायण एवं सुरेन्द्र को धारा 147, 148, 452, 323, 307, 429 भा०द०सं० में विचारण हेतु तलब किया गया।

**3.** सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

4. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, मामले में कोई साक्ष्य न पाते हुए अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। अभियुक्ता शिववती द्वारा वादिनी मुकदमा व अन्य के विरूद्ध अ०सं०–574/2017, धारा 498A, 323 भा०द०सं० व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम व धारा 125 का मुकदमा विचाराधीन है। इन्हीं मुकदमों पर दबाव बनाने के लिए वादिनी द्वारा धारा 156(3) द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें दौरान विवेचना घटना असत्य पाये जाने पर विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। वादिनी के प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर आवेदकगण को विचारण हेतु तलब किया गया है लेकिन किसी को स्वतंत्र साक्षीगण नहीं बनाया गया जबकि घटना गाँव के अन्दर वादिनी के घर के बतायी गयी है। प्रोटेस्ट में तमंचे की फायर सुनील के बजाय गाय को लगना बताया है परन्तु न तो सुनील का कोई चिकित्सीय परीक्षण हुआ और न ही गाय का पोस्टमार्टम हुआ। यह भी तर्क रखा गया कि घटना में लगभग नौ व्यक्तियों द्वारा मारना पीटना बताया गया है जबकि किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आयी है। आवेदकगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत दिये जाने की याचना की गयी।

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने मौखिक रूप से तथा वादिनी के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित रूप से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादिनी के पुत्र सुनील की शादी शिववती के साथ हुई थी परन्तु वह शादी से खुश नहीं थी। कथित दिनांक को शिववती के मायके वाले आये और वादिनी पक्ष को मारपीट कर सारे जेवरात व रूपये ले गये तथा सुनील को जान से मारने की नियत से उस पर तमंचे से फायर भी किया। यह भी तर्क रखा गया कि अभियुक्तगण को वादिनी के प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा तलब किया गया। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी के धारा 156(3) द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय के आदेश से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया जिसमें दौरान विवेचना घटना असत्य पाये जाने के आधार पर अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी जिस पर वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटीशन पर आवेदकगण को तलब किया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि वादिनी के पुत्र सुनील की शादी शिववती के साथ हुई थी परन्तु वह शादी से खुश नहीं थी। घटना के दिनांक को शिववती के मायके वाले आये और वादिनी पक्ष को मारपीट कर सारे जेवरात व रूपये ले गये तथा सुनील को जान से मारने की नियत से उस पर तमंचे से फायर किया गया परन्तु किसी को कोई चोट आने का कथन नहीं किया गया। मामले के विचारण की अवधि में आवेदक/अभियुक्त को पलायन किये जाने, साक्ष्य से छेड़छाड़ करने या साक्षीगण को डराये धमकाये जाने की कोई आशंका व्यक्त नहीं की गयी। अभियोजन पक्ष की तरफ से आवेदकगण/अभियुक्तगण की कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत नहीं की गयी है।

7. अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं मामले के गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रेम नारायण, मुन्नी उर्फ जयदेवी, महेन्द्र पाल, श्याम पाल, श्रीमती बिट्टी उर्फ रानी देवी, सुरेन्द्र एवं शिववती को गिरफ्तार किये जाने की स्थिति में प्रत्येक द्वारा मु0–50,000/–50,000/– का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवम् इतनी ही धनराशि के दो–दो प्रतिभूओं सहित, निष्पादित करने पर निम्न शर्तो के अधीन उसे जमानत पर रिहा किया जाये :–

01. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

02. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा अभियोजन साक्षियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जायेगी।

03. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा विचारण में न्यायालय का सहयोग किया जायेगा तथा अनावश्यक रूप से स्थगन नहीं दिया जायेगा।

04. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण पत्रावली में नियत तिथियों पर न्यायालय उपस्थित आते रहेंगे।

बन्ध–पत्र सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन स्वीकार किये जायेंगे।

इस आदेश की एक प्रति अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1272/2026 में रखी जाये।

**दिनांक–18.06.2026**

**(रविन्द्र सिंह)**
**सत्र न्यायाधीश**
**रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।**
**J.O. Code–UP**02003